छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल, 2025 (चैत्र 14, 1947)

मानीय श्री कवासी लखमा, सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना.

उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर से यह सूचना दी गई है कि–

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 04/2024 धारा–420, 467, 468, 471, 384, 120 बी भारतीय दण्ड विधान एवं 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथा संशोधित 2018 के तहत् छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य श्री कवासी लखमा को दिनांक 02.04.2025 को समय 16:00 बजे माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर से अनुमति प्राप्त कर गिरफ्तार किया गया है।

माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर के आदेशानुसार दिनांक 02.04.2025 से दिनांक 07.04.2025 तक पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर श्री कवासी लखमा को प्रकरण के संबंध में पूछताछ हेतु राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के तेलीबांधा, रायपुर स्थित कार्यालय में रखा जायेगा। पुलिस रिमाण्ड की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ज्यूडिशियल रिमाण्ड की अवधि में उन्हें केन्द्रीय कारागार, रायपुर में निरूद्ध रखा जायेगा।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा